



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4624]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 28, 2018/अग्रहायण 7, 1940

No. 4624]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 28, 2018/AGRAHAYANA 7, 1940

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 2018

का.आ. 5845(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) के नियम 5 के उप-नियम (3) के खंड (घ) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) के अधीन जारी अधिसूचना द्वारा निदेशित किया गया है कि इसके प्रकाशन की तारीख से ही, नई परियोजनाओं या क्रियाकलापों का अपेक्षित संनिर्माण या इस अधिसूचना की अनुसूची में सूचीबद्ध विद्यमान परियोजनाओं या क्रियाकलापों का विस्तार या आधुनिकीकरण प्रक्रिया और या प्रौद्योगिकी में परिवर्तन सहित क्षमता में परिवर्धन करते हुए और या मिश्रित उत्पाद भारत के किसी भाग में, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार द्वारा या इस अधिसूचना में इसमें इसके पश्चात् विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्यक् रूप से गठित राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निधरण प्राधिकरण द्वारा पूर्व पर्यावरण अनापत्ति के पश्चात् ही किया जाएगा;

और उक्त अधिसूचना में, का0आ0 3067(अ), तारीख 1 दिसंबर, 2009 द्वारा यथा संशोधित पैरा 10 की उप-पैरा (ii) में यह उपबंधित किया गया है कि "परियोजना प्रबंधन के लिए प्रत्येक कलेंडर वर्ष की 1 जून और 1 दिसंबर को संबंधित विनियामक प्राधिकरण को निश्चित पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति के निबंधनों और शर्तों के संबंध में अनुपालन रिपोर्टों को अर्धवार्षिक रूप में हार्ड और साफ्ट प्रतियों में प्रस्तुत करना आज्ञापक होगा";

और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में बहुत अधिक संख्या में अर्धवार्षिक मॉनीटरी रिपोर्ट जो केवल हार्ड प्रति में प्राप्त हो रही हैं, का पुनर्विलोकन करना और कार्यालय में रिकॉर्ड रखा जाना अत्यंत कठिन है और इसके अतिरिक्त, उक्त मंत्रालय की ई-गवर्नेंस पहल के रूप में संपूर्ण पर्यावरणीय अनापत्ति प्रक्रिया और पत्र अनापत्ति मानीटर करने को ऑनलाइन किया जाना प्रक्रियाधीन है जिसके लिए अर्धवार्षिक मानीटरी रिपोर्ट की साफ्ट प्रतियां उपयोगी होंगी;

और उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिसूचना का संशोधन, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) के खंड (क) में विनिर्दिष्ट सूचना की अपेक्षा बाबत लोकहित में ऐसे व्यक्तियों से आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करने, जिनकी उससे प्रभावित होने की संभावना है, से अभिमुक्ति प्रदान करना आवश्यक समझती है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त नियम 5 के उप-नियम (3) के खंड (क) के अधीन सूचना की अपेक्षा से अभिमुक्ति प्रदान करने के पश्चात्, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्यांक का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006, का.आ. 3067(अ), तारीख 1 दिसम्बर, 2009 द्वारा यथासंशोधित, द्वारा प्रकाशित अधिसूचना का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, पैरा 10 में, उप-पैरा (ii) में “हार्ड और सॉफ्ट प्रतियों” शब्दों के स्थान पर “सॉफ्ट प्रति” शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. 22-25/2018-आईए-III]

जिगमेट टकपा, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् निम्नलिखित संख्यांकों द्वारा संशोधित की गई :-

1. का.आ. 1949(अ), तारीख 13 नवम्बर, 2006;
2. का.आ. 1737(अ), तारीख 11 अक्तूबर, 2007;
3. का.आ. 3067(अ), तारीख 1 दिसम्बर, 2009;
4. का.आ. 695(अ), तारीख 4 अप्रैल, 2011;
5. का.आ. 156(अ), तारीख 25 जनवरी, 2012;
6. का.आ. 2896(अ), तारीख 13 दिसम्बर, 2012;
7. का.आ. 674(अ), तारीख 13 मार्च, 2013;
8. का.आ. 2204(अ), तारीख 19 जुलाई, 2013;
9. का.आ. 2555(अ), तारीख 21 अगस्त, 2013;
10. का.आ. 2559(अ), तारीख 22 अगस्त, 2013;
11. का.आ. 2731(अ), तारीख 9 सितम्बर, 2013;
12. का.आ. 562(अ), तारीख 26 फरवरी, 2014;
13. का.आ. 637(अ), तारीख 28 फरवरी, 2014;
14. का.आ. 1599(अ), तारीख 25 जून, 2014;
15. का.आ. 2601(अ), तारीख 7 अक्तूबर, 2014;
16. का.आ. 2600(अ), तारीख 9 अक्तूबर, 2014;
17. का.आ. 3252(अ), तारीख 22 दिसम्बर, 2014;
18. का.आ. 382(अ), तारीख 3 फरवरी, 2015;
19. का.आ. 811(अ), तारीख 23 मार्च, 2015;
20. का.आ. 966(अ), तारीख 10 अप्रैल, 2015;
21. का.आ. 1142(अ), तारीख 17 अप्रैल, 2015;
22. का.आ. 1141(अ), तारीख 29 अप्रैल, 2015;
23. का.आ. 1834(अ), तारीख 6 जुलाई, 2015;
24. का.आ. 2571(अ), तारीख 31 अगस्त, 2015;

25. का.आ. 2572(अ), तारीख 14 सितम्बर, 2015;
26. का.आ. 141(अ), तारीख 15 जनवरी, 2016;
27. का.आ. 648(अ), तारीख 3 मार्च, 2016;
28. का.आ. 2269(अ), तारीख 1 जुलाई, 2016;
29. का.आ. 2944(अ), तारीख 14 सितम्बर, 2016;
30. का.आ. 3518(अ), तारीख 23 नवम्बर, 2016;
31. का.आ. 3999(अ), तारीख 9 दिसम्बर, 2016;
32. का.आ. 4241(अ), तारीख 30 दिसम्बर, 2016 और
33. का.आ. (अ), तारीख 25th जुलाई, 2018 ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th November, 2018

S.O. 5845(E).—Whereas, by notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O.1533 (E), dated the 14th September, 2006, issued under sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section (3) of the Environment (Protection) Act, 1986 read with clause (d) of the sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 (hereinafter referred to as the said notification), the Central Government directed that on and from the date of its publication, the required construction of new projects or activities or the expansion or modernisation of existing projects or activities listed in the Schedule to the said notification entailing the capacity addition with change in process or technology and or product mix shall be undertaken in any part of India only after prior environmental clearance from the Central Government or as the case may be, by the State Level Environment Impact Assessment Authority, duly constituted by the Central Government under sub-section (3) of section 3 of the said Act, in accordance with the procedure specified therein;

And whereas, in the said notification, as amended *vide* S.O. 3067 (E) dated 1st December 2009, in paragraph 10, in sub-paragraph (ii), it has been provided that “It shall be mandatory for the project management to submit half-yearly compliance reports in respect of the stipulated prior environmental clearance terms and conditions in hard and soft copies to the regulatory authority concerned, on 1st June and 1st December of each calendar year”;

And whereas, in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, large number of half-yearly monitoring reports which are being received only in hard copy, made it difficult to review and record in the office, and moreover, as an e-governance initiative, the said Ministry is in the process of making the entire environment clearance process and post clearance monitoring online for which soft copies of the half-yearly monitoring reports will be useful;

And whereas, in view of the above, the Central Government finds it necessary to amend the said notification, by dispensing with the requirement of notice referred to in clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 regarding inviting objections and suggestions from persons likely to be affected thereby, in public interest;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government, after having dispensed with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of the said rule 5, hereby makes the following further amendments in the said notification of the Government of India, in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O.1533 (E), dated the 14th September, 2006, namely:-

In the said notification, in paragraph 10, in sub-paragraph (ii), for the words “hard and soft copies” the words “soft copy” shall be substituted.

[F. No. 22-25/2018-IA.III]

JIGMET TAKPA, Jt. Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and subsequently amended *vide* the following numbers:—

1. S.O. 1949 (E) dated the 13th November, 2006;
2. S.O. 1737 (E) dated the 11th October, 2007;
3. S.O. 3067 (E) dated the 1st December, 2009;
4. S.O. 695 (E) dated the 4th April, 2011;
5. S.O. 156 (E) dated the 25th January, 2012;
6. S.O. 2896 (E) dated the 13th December, 2012;
7. S.O. 674 (E) dated the 13th March, 2013;
8. S.O. 2204 (E) dated the 19th July 2013;
9. S.O. 2555 (E) dated the 21st August, 2013;
10. S.O. 2559 (E) dated the 22nd August, 2013;
11. S.O. 2731 (E) dated the 9th September, 2013;
12. S.O. 562 (E) dated the 26th February, 2014;
13. S.O. 637 (E) dated the 28th February, 2014;
14. S.O. 1599 (E) dated the 25th June, 2014;
15. S.O. 2601 (E) dated the 7th October, 2014;
16. S.O. 2600 (E) dated the 9th October, 2014
17. S.O. 3252 (E) dated the 22nd December, 2014;
18. S.O. 382 (E) dated the 3rd. February, 2015;
19. S.O. 811 (E) dated the 23rd. March, 2015;
20. S.O. 996 (E) dated the 10th April, 2015;
21. S.O. 1142 (E) dated the 17th April, 2015;
22. S.O. 1141 (E) dated the 29th April, 2015;
23. S.O. 1834 (E) dated the 6th July, 2015;
24. S.O. 2571 (E) dated the 31st August, 2015;
25. S.O. 2572 (E) dated the 14th September, 2015;
26. S.O. 141 (E) dated the 15th January, 2016;
27. S.O. 648 (E) dated the 3rd March, 2016;
28. S.O. 2269(E) dated the 1st July, 2016;
29. S.O. 2944(E) dated the 14th September, 2016;
30. S.O. 3518 (E) dated 23rd November 2016;
31. S.O. 3999 (E) dated the 9th December, 2016;
32. S.O. 4241(E) dated the 30th December, 2016; and
33. S.O. 3611(E) dated the 25th July, 2018.